4|1|2021 अभिलेख उपस्थापित। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के पत्रांक–392/भू0सु0 दिनांक–29-12-2020 से बन्दोबस्ती केन्सीलेशन वाद अभिलेख प्राप्त हुआ है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने अभिलेख में उल्लेख किया गया है कि थाना नं0–520 के गैरमजरूआ खाता सं0–87 के अंदर दाग सं0–1371 कुल खतियानी रकवा–30–17–10 धुर, किस्म–परतीकदीम के रूप में सर्वे खतियान में दर्ज है। पंजी 2 के अवलोकन से पाया कि खाता सं0 87 मी0 के अन्दर रकवा–05.00 (पांच) एकड़ भूमि रचितानन्द प्रसाद, पिता– हरिनन्दन प्रसाद के नाम से अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा के बंदोबस्ती के I नं0–282/73–74 आदे I तिथि–10.08.76 के आधार पर दर्ज है। जांच के क्रम में बन्दोबस्तदार मौजा–धरमुडीह का जमाबंदी रैयत नही है। उक्त जमीन पर बन्दोबस्तदार रैयत/वंशज का दखल–कब्जा/जोत कोड़ नही है। फोटो छायाप्रति संलग्न। उक्त बंदोबस्त भूमि पर इसी ग्राम के अन्य व्यक्ति का जोत कोड़ है। इसी ग्राम में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अत्यंत पिछड़ी जाति श्रेणी के भूमिहीन रैयत हाने के बाबजुद सामान्य श्रेणी के साथ भूमि बंदोबस्ती की गई है। संथाल परगना कास्तकारी पूरक अधिनियम–1949 की धारा–28 में वर्णित है कि उसी मौजा में निवास करने वाले जमाबंदी रैयत के साथ अनुसूचित जानजाति/अनुसूचित जाति/अत्यंत पिछड़ी जाति श्रेणी के भूमिहीन रैयत को प्राथमिकता देते हुए भूमि की बंदोबस्ती की जानी है। अतः संथाल परगना कास्तकारी पूरक अधिकनयम–1949 की धारा–28 का अनुपालन नही करने एव धारा–33 (पांच वर्शो के अन्दर भूमि का जोत कोड़/दख्ल कब्जा नही रहने) के कारण उक्त बंदोबस्ती रद्द् करने की अनुशंसा की गई है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा ने संथाल परगना का तकारी (पूरक) अधिनियम–1949 की धारा–28 एवं 33 के तहत मौजा–धरमुडीह, थाना नं0–520 के गैरमजरूआ खाता सं0–87 के अंदर दाग सं0–1371, किस्म–परतीकदीम में बंदोबस्त रकवा–05. 00 (पांच) एकड भूमि रचितानन्द प्रसाद, पिता– हरिनन्दन प्रसाद के नाम से कायम अबैध/संदेहास्पद जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा गया है।

अतः भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा के अनु ंसा के आलोक में संथाल परगना का तकारी (पूरक) अधिनियम–1949 की धारा–28 एवं 33 के तहत मौजा–धरमुडीह, थाना नं0–520 के गैरमजरूआ खाता सं0–87 के अंदर दाग सं0–1371, किस्म–परतीकदीम में बंदोबस्त रकवा–05.00 (पांच) एकड भूमि रचितानन्द प्रसाद, पिता– हरिनन्दन प्रसाद के नाम से कायम अबैध/संदेहास्पद जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा किया जाता है।

अभिलेख अंचल अधिकारी, गोड्डा सदर को भेजे एवं इसकी सूचना भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गोड्डा को दें।

04/01/2021

अनुमंडल पदाधिकारी
गोड्डा।